राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–12 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री भूपेन्द्र कुमार ठाकुर, ग्राम–राजपुर, पोस्ट–चारघाट, थाना–बिहियाँ, जिला–भोजपुर–802166

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
28.04.2023	श्री भूपेन्द्र कुमार ठाकुर, ग्राम–राजपुर, पोस्ट–चारघाट, थाना–बिहियाँ, जिला–भोजपुर–802166 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–23.03.2023 इस कार्यालय में दिनांक–28.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 889619 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री भूपेन्द्र कुमार ठाकुर ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 'क' दिनांक–30.01.2023 लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचना/निर्णय से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार, राज्यपाल सचिवालय के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–30.01.2023 की प्रति जो लोक सूचना पदाधिकारी को संबोधित है, भी संलग्न किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से सूचना हेतु मांगे गये आवेदन दिनांक–30.01.2023 के आलोक में की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन की मांग करे। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–12.05.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 28/4/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—12 (लो०सू०अ०)/2023—24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.05.2023	दिनांक-28.04.2023 को पारित आदेश क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपीलार्थी श्री ठाकुर के प्रपत्र 'क' दिनांक-30.01.2023 को लोक सूचना पदाधिकारी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को प्रपत्र 'ङ' में अपने पत्रांक- आर.टी.आई./पी.पी.यू.-19/2023-26/रा.स.(I) दिनांक-09.02.2023 के माध्यम से हस्तांतरित किया है तथा इसकी सूचना अपीलार्थी श्री ठाकुर को भी भेजी है। विदित हो कि अपीलार्थी द्वारा राज्यपाल सचिवालय से निर्गत पत्र पर कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना की मॉग की गयी है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के क्षेत्राधिकार में है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रपत्र 'ङ' में किया गया हस्तांतरित सही प्रतीत होता है तथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उनके प्रपत्र 'क' में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना है तथा सूचना नहीं प्राप्त होने की स्थिति में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर कर सकते है। उल्लेखनीय है कि कोई भी विश्वविद्यालय एक स्वायत (Autonomous) संस्था है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत एक स्वतंत्र लोक प्राधिकार है, जिसके कारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विश्वविद्यालय के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार को क्मेपहदंजम किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दायर होने वाले आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार उक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही रहते हैं न कि राज्यपाल सचिवालय अथवा कुलाधिपति कार्यालय में। अतः प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार की अग्रत्तर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसे अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 12/5/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	